फैक्स
ई–मेल

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध–16/2015– 1571 /खाद्य,पटना/दिनांक 28.03.17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

विषयः– **जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में ।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक–351 दिनांक–15.03.2017**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विभाग को सूचित किया गया है कि उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति हेतु जिन अनुमंडलों द्वारा पूर्व में रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशन कर उसके विरूद्ध आवेदन आमंत्रित कर लिया गया है, जिस पर अग्रेतर कार्रवाई करने के बिन्दू पर विभागीय मार्गदर्शन/मंतव्य की अपेक्षा की है।

उक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 द्वारा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 963, दिनांक 20.01.2016, परिपत्र 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानो के तहत रोस्टर तैयार करते हुए रिक्तियों के आधार पर मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, रिक्तियों की कोटिवार विवरणी विभाग को भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अतः मांगे गये मार्गदर्शन/मंतव्य के आलोक में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं0–4453/2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को दिये गये न्यायादेश में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर लगायी रोक को हटा लिया गया है। तद्आलोक में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प 963, दिनांक 20.01.2016, परिपत्र 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के तहत अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक – प्र07–विविध–16/2015– 1571 /खाद्य,पटना/दिनांक 28.03.17

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

D:\M 2016\Sec_TPDS Letter.doc